Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education

Vol. VI, Issue No. XI, July-2013, ISSN 2230-7540

वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन

AN INTERNATIONALLY INDEXED PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL

www.ignited.in

Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. VI, Issue No. XI, July-2013, ISSN 2230-7540

वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन

Meena Ambesh*

Lecturer, Department of History, Babu Shobha Ram Government Arts College, Alwar, Rajasthan

सारांश:- *प्रस्तुत शोध पत्र में वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है। महिलाओं और बच्चों की स्थिति केवल किसी भी देश या समाज के विकास संकेतकों के लिए स्पष्ट है। क्योंकि बच्चा देश का भविष्य है, महिला उसकी पहली शिक्षिका है, उसका पालन पोषण और मार्गदर्शन करती है, लेकिन वर्तमान समय में सभी प्रयासों के बावजूद, देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र या यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो अशिक्षा, गरीबी और गरीबी के कारण अभी भी कुपोषित रह रहे हैं, ने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के महत्व पर चिंता व्यक्त की है। शिक्षा किसी भी देश में परिवर्तन या क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम वैदिक काल को देखते हैं, तो हजारों साल पहले का समाज भी अधिक प्रगतिशील दिखाई देता है। जो जीवन को निरर्थक नहीं मानता है, लेकिन वह प्रवृत्ति-प्रधान है जो जीवन के प्रति आशावादी और मेहनती है। उनकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के भीतर उत्तेजना पैदा करती हैं, उनकी प्रार्थना लंबे जीवन, स्वस्थ शरीर, जीत, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई थी। वैदिक काल में, समाज में रहने वाली हर जाति, वर्ग, वर्ग और महिला को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं। जब हम वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करते हैं, तो यह ज्ञात है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में, महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक थी।*

शब्द कुंजियाँ - *वेदों में स्त्री का महत्व, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा, शिक्षा में स्त्री की स्थिति, विवाह के संदर्भ में स्त्री की स्थिति, सार्वजनिक जीवन में स्त्री की भूमिका, वैदिक काल में स्त्री की स्थिति की प्रासंगिकता।*

----------X----------

परिचय:

महिलाओं और बच्चों की स्थिति केवल किसी भी देश या समाज के विकास संकेतकों के लिए स्पष्ट है। क्योंकि बच्चा देश का भविष्य है, महिला उसकी पहली शिक्षिका है, उसका पालन पोषण और मार्गदर्शन करती है, लेकिन वर्तमान समय में सभी प्रयासों के बावजूद, देश में महिलाओं और बच्चों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। वर्तमान में, संयुक्त राष्ट्र या यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो अशिक्षा, गरीबी और गरीबी के कारण अभी भी कुपोषित रह रहे हैं, ने बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी शिक्षा के महत्व पर चिंता व्यक्त की है। शिक्षा किसी भी देश में परिवर्तन या क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद माध्यमिक विद्यालयों के प्रवेश में हमारी स्थिति बहुत खराब है। हम इस मामले में केवल अफगानिस्तान और भूटान से बेहतर हैं। 2011 के अनुसार महिला साक्षरता की दर 65.46 प्रतिशत है, फिर भी हम वैश्विक अनुपात 79.07 प्रतिशत से पीछे हैं। 83.5 प्रतिशत पर स्कूल छोड़ने की दर बेहद अधिक है। यह भारतीय समाज के लिए बहुत चिंताजनक है क्योंकि हम उस समाज में रह रहे हैं जहां बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी काफी हद तक मां की होती है। ऐसे में हम अपनी आने वाली पीढ़ी को तब क्या देंगे जब माँ अनपढ़ होगी। यह इस कारण से है कि हमने अपनी नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य निर्धारित किया है कि - "शिक्षा का उपयोग महिलाओं के मानक में सुधार के लिए किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तीकरण में एक सकारात्मक हस्तक्षेप करेगी। "फिर भी, हमने अभी तक महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कई बाधाओं को पार नहीं किया है।

उपरोक्त कथन यह बताने के लिए पर्याप्त है कि नारी ज्ञान समाज के उत्थान में महिलाओं की शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। जहां आधुनिक समाज और स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी, हम पुरुषों के समान ही महिला शिक्षा में 100 प्रतिशत दूरी तक नहीं पहुँच पाए हैं। जब हम वैदिक काल को देखते हैं, तो हजारों साल पहले का समाज भी अधिक प्रगतिशील दिखाई देता है। जो जीवन को निरर्थक नहीं मानता है, लेकिन वह प्रवृत्ति-प्रधान है जो जीवन के प्रति आशावादी और मेहनती है। उनकी प्रार्थनाएं

www.ignited.in

ऐसी हैं जो पुरुषों के भीतर उत्तेजना पैदा करती हैं, उनकी प्रार्थना लंबे जीवन, स्वस्थ शरीर, जीत, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई थी।

वैदिक काल में, समाज में रहने वाली हर जाति, वर्ग, वर्ग और महिला को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं।

उद्देश्य:

1. वैदिक काल में नारी की स्थिति का ऐतिहासिक अध्ययन किया गया है।
2. वैदिक काल में नारी के महत्व की विवेचना की गई है।
3. वैदिक काल में नारी शिक्षा का समाज पर प्रभावों का वर्णन किया गया है।

परिकल्पना:

1. वैदिक काल की नारी की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।
2. वैदिक काल में नारी शिक्षा के समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं।

अध्ययन विधि और आंकड़ों का संग्रहः

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों आंकड़ों को शामिल किया गया है। प्राथमिक डेटा का संग्रह प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली और अनुसूची आदि के माध्यम से किया गया है। माध्यमिक डेटा का संकलन डायरी, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और विभिन्न वेबसाइटों और पुस्तकों के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक है।

वेदों में महिलाओं का महत्वः

वैदिक काल में बेटे और बेटी के सामाजिक और धार्मिक अधिकारों में बहुत अंतर नहीं था। वैदिक शिक्षा प्रणाली और स्वतंत्र और समतावादी समाज का प्रभाव था कि वैदिक काल में कई विद्वानों के छंदों की रचना की गई थी। वैदिक भजनों की रचना करने वाली महिलाओं की संख्या 20 से अधिक है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वैदिक काल की महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। ब्रह्मवादिनी ममता लंबे समय तक रहने वाली संत की मां थीं। यह महान विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी थे। अग्नि के निमित्त उनका पाठ ऋग्वेदसंहिता के प्रथम मंडल के दसवें सूक्त के श्लोक में मिलता है। अत्रि महर्षि के वंश में पैदा हुए विश्ववारा ने ऋग्वेद के पाँचवें मंडल के अट्ठाईसवें सूक्त में वर्णित छह संस्कारों की रचना की। ब्रह्मवादिनी अपाला ने ऋग्वेद की अस्सी-आठ मंडलियों के 91 वें सूक्त के एक से सात तक के श्लोकों का संकलन किया है। इसी प्रकार, ब्रह्मवादिनी घोष एक प्रख्यात विद्वान थी। उन्होंने ब्रह्मचारिणी कन्या के सभी कर्तव्यों का उल्लेख दो सूक्तों में दो ब्रह्मचारिणी के रूप में किया है। इस आख्यान का संकेत ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 39 वें से 41 वें सूक्त में मिलता है। ब्रह्मवादिनी सूर्या ने ऋग्वेद के विवाह पद्य की रचना की है। जो ऋग्वेद के दसवें मण्डल के 85 वें सूक्त का 47 वाँ भजन है। वैदिक छात्रों के इसी क्रम में, ब्रह्मवादिनी वक्र, जो राजदूत ऋषि की बेटी थी। वह प्रसिद्ध ब्रह्म ज्ञानी थीं और भगवती देवी के साथ एकात्मता प्राप्त की। ऋग्वेद संहिता के दसवें मण्डल के 125 वें सूक्त में दंउम देवी सूक्त 'के नाम से आठ मन्त्रों की रचना हुई है। चंडीपाठ के साथ इन आठ मंत्रों का पाठ बहुत महान माना जाता है। शिक्षा या ज्ञान व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा करता है और उसे उसके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराता है। ये सभी तर्क और संवाद में व्यक्त किए गए हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच तर्क और संवाद को प्रगतिशील समाज की निशानी माना जाता है, जो अभी भी कई देशों में नहीं बल्कि विकसित देशों में भी पर्याप्त है। वैदिक युग की विद्वान महिला होने का उदाहरण उनकी विद्वता की बहस में दिखता है। इसी तरह का उदाहरण बुधनारायणक उपनिषद में मिलता है। विदेह के राजा जनक के दरबार में, जहाँ ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ वाद-विवाद में अन्य ऋषियों की हार हुई थी, वचक्रवी गार्गी (ऋषि वचरु की पुत्री होने के नाते) से सबसे अधिक तीक्ष्ण प्रश्न आया था, हालाँकि बाद के गार्गी में याज्ञवल्क्य को भी माना जाता था। लोहा होना। याज्ञवल्क्य का यह भी कहना था - "यह एक अतिशयोक्ति है।" गार्गी! यह उत्तर की सीमा है, अब कोई और प्रश्न नहीं हो सकता है। अब तुम मत पूछो, अन्यथा तुम्हारा सिर गिर जाएगा। "प्रस्तुत कथानक गार्गी की पुरानीता और समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार की बहस या दार्शनिक बातचीत न केवल अविवाहित महिलाओं द्वारा, बल्कि विवाहित महिलाओं द्वारा भी की जाती थी। मैत्रेयी, ऋषि यज्ञोपवीत की पत्नी जो एक आत्म-विद्वान थीं। मैत्रेयी का दार्शनिक संवाद मानव जीवन की दशा और भौतिक जीवन की सीमाओं पर सवाल बहुत ही सुंदर और गहरा है, यह न केवल प्राचीन भारत के संदर्भ में, बल्कि आधुनिक दुनिया में भी महत्वपूर्ण है। नोबेल पुरस्कार विजेता

और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्मत्य सेन भी। यह मानना है कि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवादों ने उन्हें विकास के बारे में एक अलग दृष्टिकोण दिया, यह विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसे केवल जीडीपी और जीएनपी जैसे मानकों से नहीं मापा जा सकता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वैदिक भारत में महिला शिक्षा ने सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं।

संधव समाज में महिलाओं की स्थितिः

संधव समाज में महिलाओं का सम्मानजनक स्थान था। महिलाओं ने पुरुषों के साथ धार्मिक और सामाजिक समारोहों में समान रूप से भाग लिया। उनका मुख्य काम बाल-पालन और गृहस्थी में था। महिलाएं अतिरिक्त समय में सूत कातती थीं। इस बात की पुष्टि संध्या काल की खुदाई के दौरान हर घर से प्राप्त कताई से हुई है। उस समय पर्दा प्रथा भी लोकप्रिय नहीं थी।

वैदिक काल में महिलाओं की शिक्षाः

जब हम वैदिक काल के समाज में महिलाओं की स्थिति पर विचार करते हैं, तो यह ज्ञात है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में, महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य हिस्सों की तुलना में अधिक थी। भारतीय धर्म को छोड़कर, दुनिया में कोई भी धर्म एक महिला को इतनी प्राथमिकता नहीं देता है। इसका एक सुंदर उदाहरण हिंदू विवाह प्रणाली है। भारतीय हिंदू संस्कृति में विवाह को एक धार्मिक कार्य माना जाता है। विवाह में कन्यादान कन्या पक्ष की ओर से किया जाता है जिसमें दिखाया जाता है कि लड़का पक्ष याचिकाकर्ता है और लड़की पक्ष दाता है और दानदाता पक्ष हमेशा याचिकाकर्ता से बड़ा होता है। इस प्रकार का एक और उत्कृष्ट विचार शास्त्रों में पाया गया है कि भगवान ने इस दुनिया के दो हिस्सों को एक पुरुष और एक अन्य महिला में विभाजित किया है, अर्थात् महिला और पुरुष को समान स्थान देना। इसके अलावा, अर्धनारीश्वर की कल्पना की गई है, यह कहा जाता है कि मानव जीवन पुरुषों और महिलाओं के मिलन से विकसित हुआ है। यह यह भी इंगित करता है कि पुरुष और महिला पूरी तरह से समान हैं और उनमें एक के गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकते।

उपर्युक्त कथन यह साबित करते हैं कि वैदिक कालान समाज एक प्रगतिशील, आशावादी समाज था जहाँ पुरुष और महिला को समान दर्जा प्राप्त था। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली वैदिक युग की प्रगति के लिए जिम्मेदार थी। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य शिष्य का सर्वांगीण विकास करना, उसकी ज्ञान ज्योति को जगाना, उसे दृढ़ बनाना और उसके जीवन को पूरी तरह से भाग्यशाली बनाना था। व्युत्पत्ति (सुमति, विवेक) को विद्या के साथ भी समन्वित किया जाना चाहिए, इसलिए कहा जाता है कि धी (विवेक) सरस्वती के साथ होना चाहिए। यह यहाँ है कि तर्क, तर्क आधुनिक सभ्यता का आधार है जो वैदिक सभ्यता में परिलक्षित होता है। वेदों में यह भी कहा गया है कि एक साधारण शिक्षा या मुक्ति का अर्थ है कि व्यक्ति एक व्यक्ति को उदार बनाता है। संभवतः यही कारण था कि वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी बुराइयाँ प्रचलित नहीं थीं। वह त्योहारों और यज्ञों में भाग लेती थी। उसके पास पर्याप्त स्वतंत्रता थी। शिक्षा के महत्व को देखते हुए, वेदों में महिला शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था दिखाई देती है। वेदों में शिक्षा को आश्रम व्यवस्था और सोलह संस्कारों से जोड़ा गया है। औपचारिक शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य आश्रम से होती है। शिक्षा की शुरुआत उपनयन संस्कार से हुई और समापन संवतारण संस्कार से हुआ। उपनयन संस्कार (जनेऊ पहनना) विद्या का प्रतीक था। इस संस्कार के बाद, शिष्यों और शिष्यों ने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया। लड़कों की तरह लड़कियों की भी बलि दी जाती थी। वह भी मखमल पहनती थी। छात्राओं को ललित कला सिखाई गई। जिस तरह लड़कों को शादी से पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, उसी तरह लड़कियां भी ब्रह्मचारी थीं। उसने एक मेखला भी पहनी थी - हम ऊपर के अर्थवेद, ब्रह्मचर्य कन्या युवनाम विंदते पतिम (11.5.17) में भी उल्लेख करते हैं। बच्चों ने स्नातक स्तर पर शादी की, कुछ आजीवन ब्रह्मचारी थे। इसी प्रकार, लड़कियों ने भी स्नातक होने के बाद शादी कर ली, उन्हें 'सद्योदवाह' कहा और कुछ आज़म ब्रह्मचारिणी रहीं, उन्हें 'ब्रह्मवादिनी' कहा गया। वह तपस्या जीवन का आनंद लेती थी और शास्त्र चर्चा में तल्लीन थी। गार्गी, मैत्रेयी ऐसी ब्रह्मवादिनी महिलाओं में उल्लेखनीय हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थितिः

बेटे की तरह, बेटी के भी उपनयन संस्कार होते थे, जिन्हें शिक्षा की शुरुआत माना जाता था, लड़कियों की तरह, लड़कियों ने भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। यद्यपि उनके लिए बच्चों की तरह कोई अलग गुरुकुल नहीं थे, फिर भी महिला शिक्षा प्रचलित थी। वेदों के दौरान, माता-पिता की यह भी इच्छा थी कि उनकी बेटी पुजारी बने। ऋग्वेद में, लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, निववारी, विश्ववारा, आदि महिलाओं का उल्लेख है।

ऋग्वेद के पहले मंडल के 126 वें सूत्र के लेखक, रोमाशा को माना जाता है। संभवतः उनमें से कुछ शिक्षण कार्य भी करेंगे। उस समय महिलाएँ अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थीं।

www.ignited.in

अतः, यह स्पष्ट है कि वैदिक मंत्रों के उचित पाठ के लिए, उन्हें वेध्याय भी करना चाहिए।

ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी उपनिषद काल में परम विद्वान थीं। वह धन से अधिक ज्ञान की कामना करती है। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख किया गया है कि उसने याज्ञवल्क्य की दूसरी पत्नी कात्यायनी के पक्ष में अपने संपत्ति के अधिकार को छोड़ दिया था और अपने पति से केवल आत्मज्ञान के लिए प्रार्थना की थी।

इसी प्रकार, बृहदारण्यक उपनिषद में विदेह के राजा जनक की सभा में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच उच्च स्तरीय दार्शनिक बहस का उल्लेख है। इसके अलावा, तैत्तिरीय संहिता और मैत्रायणी संहिता में उल्लेख किया गया है कि संगीत, नृत्य और अन्य ललित कलाओं को भी सिखाया गया था।

प्रकाश के अनुसार, वीरमित्रोदय के संस्कार प्राचीन काल में दो प्रकार की लड़कियाँ थीं, पहली ब्रह्मवादिनी। ये महिलाएँ जीवन भर वेदों का ज्ञान प्राप्त करती थीं। बृहदारण्यक उपनिषद में दो ऐसे ब्रह्मवादियों का उल्लेख है।

1. याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी

2. गार्गी, जो याज्ञवल्क्य को पढ़ाती है। दूसरी बात यह है कि साधोवाहा ये महिलाएं शादी से पहले तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती थीं और शादी के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करती थीं।

विवाह के संदर्भ में महिला की स्थितिः

वैदिक काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। उस समय, विवाह को न केवल एक सामाजिक और धार्मिक कर्तव्य आवश्यक माना जाता था, बल्कि धार्मिक दृष्टि से यह अधूरा होता है और इसमें बलि की गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। वैदिक साहित्य में ऐसी लड़कियों के उदाहरण भी हैं जो लंबे समय तक अविवाहित थीं या जीवन भर के लिए, ऐसी लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। यद्यपि ऋग्वेद में किसी लड़की के विवाह की उम्र तय नहीं की गई है, लेकिन ऋग्वेद के दसवें मंडल से यह स्पष्ट है कि लड़की की शादी तब ही की गई थी जब वह बालिग थी।

बाद के वैदिक काल में महिलाओं के बीच स्वयंवर की प्रथा लोकप्रिय हो रही थी। इन उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि लड़की की शादी कम उम्र में हुई थी, शायद यह उम्र 16 से 20 साल के बीच रही होगी। बाद में, ब्राह्मण व्यवस्थावादियों ने सगोत्र, सपरवार विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ऋग्वेद में इस विषय पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है। ऋग्वेद में केवल भाई-बहन और पिता-पुत्री का विवाह निषिद्ध है।

ऋग्वैदिक काल में विवाह तभी होते थे जब वे वयस्क होते थे। अंतरजातीय विवाह अनुलोम विवाह ऋग्वेद में ब्राह्मण विमद और राजकन्या कामदु शतपथ ब्राह्मण से लेकर ऋषि च्यवन और सुकन्या, राजा अर्याति की बेटी के विवाह का उल्लेख है। प्रतिलोम विवाह के उदाहरणों में ऋग्वेद के दसवें मंडल में महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, राजा श्यावाचार्य और शाश्वती के राजा असंगा का उल्लेख है। इसी तरह, कुछ अंतर-जातीय विवाह के उदाहरण बाद के वैदिक काल में भी पाए जाते हैं। तैत्तिरीय सहिता में शतपथ ब्राह्मण में आर्यपुरुष और शूद्र नारी के संबंधों का उल्लेख है, राजा शर्याति की पुत्री ऋषि च्यवन और सुकन्या के विवाह का उल्लेख है।

उत्तर वैदिककाल में कुछ लोगों द्वारा एक लड़की के मूल्य के उदाहरण हैं। लेकिन इसे अच्छी नजर से नहीं देखा गया। वैदिक काल में आमतौर पर पत्नी का प्रचलन था। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक साहित्य में बहुपतित्व के कई उदाहरण पाए जाते हैं, जिनमें समाज में उच्च और धनी पुरुष अधिक पत्नियाँ रखते हैं। राजा हरिश्चंद्र की 100 पत्नियाँ थीं, जिनका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण ने किया था। मनु ने मैत्रायणी संहिता में 10 पत्नियों का उल्लेख किया है। प्रसिद्ध दार्शनिक याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थीं।

पुनः विवाहः

यद्यपि ऋग्वेदिक काल में विधवा विवाह के कोई स्पष्ट उदाहरण नहीं हैं, लेकिन नियोग प्रथा के उदाहरणों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नियोग प्रथा द्वारा पुत्र प्राप्त करने के बाद कई विधवाएँ अपने साले और अन्य पुरुषों के साथ स्थायी रूप से रहती थीं पति और पत्नी लेकिन विधवाओं के पुनर्विवाह को वैदिक काल के बाद किसी भी तरह से अपमानजनक नहीं माना जाता था। यदि ऐसा हुआ होता, तो पत्नी और दूसरे पति के बीच के रिश्ते को मजबूत बनाने की रस्म अथर्ववेद में वर्णित नहीं होती। सती प्रथा इस समय मौजूद नहीं थी। विधवा पुनर्विवाह या रोजगार के द्वारा बच्चे पैदा कर सकती थी।

रोजगारः

नियोग द्वारा इसका अर्थ है कि यदि कोई महिला विधवा हो जाती है या उसका पति बच्चे पैदा करने में असमर्थ होता है, तो महिला को अपने पति के भाई या अन्य करीबी रिश्तेदारों के साथ सहवास करके बच्चे पैदा करने की अनुमति होती है।

पुरुकुत्सनी अपने पति की अनुपस्थिति में पुत्र प्राप्ति का उल्लेख करती है।

इस समय एक विधवा की सबसे बड़ी अयोग्यता यह थी कि उसके पास संपत्ति के अधिकार नहीं थे, वह अपने मृत पति की संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकती थी, लेकिन विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा इतनी प्रचलित थी कि वह संपत्ति जिसे वह मृत्यु पर प्राप्त नहीं कर सकती थी उसके पति को दिया गया था। पैदा होने से, वह अपना संरक्षक रूप प्राप्त कर सकती थी।

पर्दा प्रथा का अभावः

वैदिक काल में, उन्हें पुत्र की तरह उपनयन और शिक्षा का अधिकार था। ऋग्वेद में एक स्थान पर मौजूद मेहमानों को नवविवाहित दुल्हन को देखने के लिए कहा गया है। एक अन्य स्थान पर, दुल्हन को बैठक में विश्वास के साथ बोलने की उम्मीद है। यदि उस समय समाज में पर्दा प्रथा थी, तो यह सब संभव नहीं था।

सार्वजनिक जीवन में महिला की भूमिकाः

लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैदिक युग में सार्वजनिक रैलियों में विश्वास के साथ बोलें। उपरोक्त वाक्य के आधार पर, अल्टकेर का सुझाव है कि यह संभावना थी कि कुछ महिलाएं तत्कालीन जनप्रतिनिधियों की बहसों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, लेकिन बाद के वैदिक काल में, इस क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, जैसा कि उल्लेख किया गया है। मैत्रायणीया संहिता। महिलाएं अब सार्वजनिक बैठकों में नहीं गईं

पति के साथ पत्नी की उपस्थिति को धार्मिक कार्यों में आवश्यक माना जाता था, इसलिए महिलाओं का धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ गया। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को स्वर्ग के प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है कि यदि पत्नी उसके साथ नहीं है, तो आदमी स्वर्ग नहीं जा सकता है। इसलिए यज्ञ के अवसर पर पत्नी का होना आवश्यक था। मोक्ष की दृष्टि से पुत्र प्राप्ति आवश्यक थी। और एक बेटा केवल एक पत्नी के माध्यम से पैदा हो सकता है, इसलिए धार्मिक दृष्टि से एक महिला के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। उपरोक्त कारणों के कारण, महिला का स्तर किसी भी तरह से पति से कम नहीं था। पत्नी केवल पुरुष की पूरक नहीं थी, बल्कि धार्मिक कार्य की नितांत आवश्यकता थी। उपरोक्त परिस्थितियों ने स्वाभाविक रूप से पत्नी की स्थिति को ऊंचा कर दिया था।

इनके अलावा, कुछ अनुष्ठान थे जो केवल महिलाओं द्वारा किए जा सकते थे, सीता यज्ञ उनमें से एक थी जिसे एक अच्छी फसल होने के लिए किया गया था। वह पशुओं की समृद्धि के लिए अकेले रुद्रबली यज्ञ भी कर सकता था। महिलाएं शादी में लड़कियों के लिए शुभ कामनाओं के रूप में रुद्रयाग यज्ञ कर सकती हैं।

संपत्ति से संबंधित अधिकारः

हिंदू संस्कृति में, वैदिक युग के बाद से, पति और पत्नी को घर और उसकी संपत्ति का संयुक्त स्वपी माना जाता है। विवाह के समय, पति को यह वादा करना था कि वह पत्नी को उसके आर्थिक हितों से वंचित नहीं करेगा, लेकिन वैदिक युग में, महिलाओं को शायद पुरुषों के समान संपत्ति अधिकार नहीं मिला था। बाद के वैदिक साहित्य में कई संदर्भ हैं, जो दर्शाता है कि महिलाओं को उत्तराधिकार का कोई अधिकार नहीं था, ऋग्वेद के शुरुआती छंदों में, पिता की संपत्ति में भाई के भाई के हिस्से को स्वीकार किया गया था। वैदिक युग में, बेटों पर अधिक जोर दिया गया था।

ऋग्वेद में एक श्लोक में एक बड़ी अविवाहित महिला का उल्लेख है जो पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से का दावा करती है। लेकिन महिलाओं की शादी आमतौर पर होती थी और पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता था, तब ऋग्वेद में, एक वैदिक लेखक ने भाई को सलाह दी कि उसे अपनी बहन को कोई हिस्सा नहीं देना चाहिए क्योंकि अंततः उसे दूसरे परिवार में जाना पड़ा। ।

वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति की प्रासंगिकताः -

वेद स्त्री को बहुत महत्वपूर्ण, गरिमापूर्ण, उच्च स्थान देते हैं। महिलाओं की शिक्षा का सुंदर वर्णन - वेदों में दीक्षा, शील, सदाचार, कर्तव्य, अधिकार और सामाजिक भूमिका दुनिया के किसी अन्य धर्मग्रंथ में नहीं मिलती है। वेद उसे घर की महारानी कहते हैं और देश का शासक बनने का अधिकार देते हैं, यहाँ तक कि पृथ्वी की महारानी भी। वेदों में, एक महिला बलिदान है, अर्थात् एक यज्ञ की तरह पूजा की जाती है। वेदों में, ज्ञान देने वाली महिलाएं, सुख - समृद्धि, विशेष गौरव, देवी, विदुषी, सरस्वती, इंद्राणी, उषा - जो सभी को जागृत करती हैं, आदि को कई सम्मानजनक नाम दिए गए हैं। वेदों में महिलाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं है - इसे हमेशा विजयिनी कहा गया है और उनके सभी कार्यों में सहयोग और प्रोत्साहन की बात की गई है। वैदिक काल के दौरान, महिलाएँ युद्ध के मैदान में शिक्षण से चली गईं। जैसा कि कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध में गई थीं। लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार देकर, वेद पुरुष से एक कदम आगे रखते हैं।

www.ignited.in

कई ऋषिक वेद मंत्रों के द्रष्टा हैं - अप्पला, घोषा, सरस्वती, सरपरगिनी, सूर्या, सावित्री, अदिति-दक्षिणायनी, लोपामुद्रा, विश्वमित्र, आत्रेयी आदि। हालांकि, वे, जो वेदों में भी नहीं गए थे, जिनमें से कुछ भी बुद्धिहीन हैं। इस देश की सभ्यता, संस्कृति को नष्ट - भ्रष्ट करने और नष्ट करने का अभियान चला - वेदों में महिलाओं की अवमानना की।

वैदिक काल के दौरान, महिला एक उच्च स्थिति में थी, वह लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती थी। धर्मसूत्रों ने बाल विवाह का निर्देश दिया, ताकि महिलाओं की शिक्षा बाधित हो और उनकी शिक्षा सामान्य स्तर पर आए क्योंकि उन्हें लिखने और पढ़ने के अवसर नहीं मिले, जिसके कारण वेदों के ज्ञान को असंभव बना दिया गया। उनके लिए धार्मिक समारोहों में भाग लेना वर्जित था। उसका मुख्य कर्तव्य अपने पति का पालन करना था। महिलाओं के लिए विवाह को अनिवार्य बनाया गया था। विधवा विवाह पर निषेध जारी किया गया था। बहुविवाह - प्रथा अधिक प्रचलित हो गई। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महिलाओं की स्थिति वैदिक युग की तुलना में बाद के वैदिक काल में घटने लगी। स्मृति युग में, महिलाओं की स्थिति में अधिक अंतर था। स्मृति युग में, महिलाओं को केवल माता के रूप में सम्मान दिया जाता था, न कि पत्नियों के रूप में। इस युग में, विवाह की आयु को 12 या 13 वर्ष कर दिया गया था। शादी की उम्र कम होने के साथ शिक्षा कम होती गई। इस युग में महिलाओं के सभी अधिकार कम हो गए। स्मृतिकारों ने निर्देश दिया है कि किशोरावस्था के दौरान महिलाओं को स्वतंत्र नहीं रखा जाना चाहिए। एक महिला का परम कर्तव्य पति की परवाह किए बिना पति की सेवा माना गया। विधवाओं के पुनर्विवाह पर, गौहत्या निषेध लगाया गया था। सती को सर्वश्रेष्ठ माना जाने लगा।

निष्कर्षः

उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में ज्ञान समाज के उदय में महिला शिक्षा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जहाँ आधुनिक समाज और स्वतंत्रता के इतने वर्षों के बाद भी हम पुरुषों की तरह ही स्त्री शिक्षा में भी शत-प्रतिशत दूरी नहीं पा सके हैं, जबकि जब हम वैदिक काल को देखते हैं, तो हजारों साल पहले का समाज है। और भी समृद्ध। दिखाई दे रहा है जो जीवन को व्यर्थ नहीं मानता है, लेकिन एक प्रवृत्ति-उन्मुख है जो जीवन के प्रति आशावादी और मेहनती है। उनकी प्रार्थनाएं ऐसी हैं जो पुरुषों के भीतर उत्तेजना पैदा करती हैं, उनकी प्रार्थना लंबे जीवन, स्वस्थ शरीर, जीत, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई थी। वैदिक काल में, समाज में रहने वाली हर जाति, वर्ग, वर्ग और महिला को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही कारण है कि वैदिक युग की महिलाएं अभी भी महिलाओं के लिए आदर्श बनी हुई हैं। निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति संतोषजनक थी। समाज में महिलाओं का सम्मान किया जाता था और सामाजिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता का आनंद लिया जाता था। ऋग्वेद में, पति और पत्नी को एक ही तत्व के दो भागों के रूप में मानते हुए, प्रत्येक क्षेत्र में समान माना जाता है। इसलिए, दोनों को हमेशा समान रूप से भाग लेना चाहिए चाहे वे धार्मिक हों या अधार्मिक। इसलिए यह कहा जा सकता है कि तत्कालीन दुनिया के किसी भी साहित्य में महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता के उतने अधिकार नहीं दिए गए हैं जितने वैदिक साहित्य में दिए गए थे।

इस अध्ययन से साबित होता है कि वैदिक कालान समाज एक प्रगतिशील, आशावादी समाज था जहाँ पुरुष और महिला को समान दर्जा प्राप्त था। प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली वैदिक युग की प्रगति के लिए जिम्मेदार थी। प्राचीन शिक्षा का उद्देश्य शिष्य का सर्वांगीण विकास करना, उसकी ज्ञान ज्योति को जगाना, उसे दृढ़ बनाना और उसके जीवन को पूरी तरह से भाग्यशाली बनाना था।

संदर्भ ग्रन्थ:

1. रतिभानु सिंह नाहरः पूर्व-मध्ययुगीन सभ्यता और संस्कृति, पेज नंबर 683, 685।
2. ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और महाभारत से
3. वी. डी. शुक्लाः पूर्व-मध्यकालीन संस्कृति और जीवन, पृ. 304 और पी. 309
4. वासुदेवशरण अग्रवालः भारतीय संस्कृति, पृष्ठ 96 और पृष्ठ 98
5. डॉ. एस कपूरः भारत में पुनर्जागरण, पृष्ठ सँख्या 36 , 37।
6. कालीशंकर भटनागरः भारतीय संस्कृति का इतिहास, पृष्ठ सँख्या 38, 301 , 308।
7. पी. वी. केनः धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग - 1,
8. महिला स्वतंत्र - मनुस्मृति -4 / 3
9. त्रिपाठी, कुसुम, महिलाओं की दशा और दिशा। कुरुक्षेत्र। अंक, मार्च 2010।

10. महला, अरविंद और सुरेंद्र कटारिया - भारत में महिला सशक्तिकरणः प्रयास और बाधाएँ, मलिक एंड कंपनी। जयपुर। 2013. पी। 262।

11. दिनकर, रामधारी सिंह। संस्कृति के चार अध्याय

12. विमल कुमार , रामधारी सिंह दिनकर की रचना।

13. द्विवेदी, कपिल देव , वैदिक साहित्य और संस्कृति

14. गोयल, प्रीतिप्रभा, भारतीय विरासत

15. वैदिक साहित्य और संस्कृति, पृष्ठ सँख्या 257-58

16. कुमार, कमलेश भारत की आदिवासी महिलाएं, कुरुक्षेत्र, 23 मार्च 2007, पृष्ठ सँख्या 23।

17 पांडेय, प्रबंधक भारतीय समाज में प्रतिरोध की परंपरा, नई दिल्ली, 2013. पी। 9

18. टॉमस, मूर। आदर्शलोक

19. लेम्बी आरएच, सामाजिक संगठन लंदन, रैटलेज 1950

20. महाभारत १२/३३ ९ / ६

21. ऑल्टकर ए. एस. , प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति, संशोधित संस्करण 196.

22. विद्यालंकार सत्यकेतु, प्राचीन भारत का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन

23. अत्रि स्मृति, 4.140.41

24. पांडा प्रमोदिनी, वेद कालिन नारी शिक्षा, ओरिएंटल बुक सेंटर, दिल्ली।

Corresponding Author

Meena Ambesh*

Lecturer, Department of History, Babu Shobha Ram Government Arts College, Alwar, Rajasthan